

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-5/वि०का०2-103/2025- 799

पटना, दिनांक-25/04/25

विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4023, दिनांक-09.04.2025 द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक), मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज(दक्षिण बिहार उपभाग), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा दिनांक-28.03.2025 को जारी किये गए प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार धन शोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक-27.03.2025 को पटना स्थित सात स्थानों पर बिहार सरकार में कार्यरत पदाधिकारियों/अभियंताओं के आवासों में तलाशी/जाँच अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ ₹11.64 करोड़ नगद जब्त किये जाने के साथ-साथ बड़ी संख्या में सम्पत्ति का दस्तावेज, रिश्वत के पैसे के बँटवारे से संबंधित दस्तावेज एवं कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किये गए हैं। यह तलाशी अभियान कई टेंडर में अनुकूल परिणाम देने और कई ठेकेदारों के बिलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत के पैसे संबंधित साक्ष्य जुटाने के संदर्भ में किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस-विज्ञप्ति में श्री सिंह का नाम एवं पदनाम सम्मिलित है। नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त पत्र में श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की गयी है।

02. प्राप्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विषयांकित मामले में श्री सिंह का कृत्य एवं आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री सिंह प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत उन्हें निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

03. अतः वर्णित स्थिति में श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक), मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज(दक्षिण बिहार उपभाग), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

[Signature]

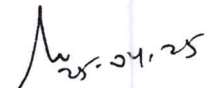
[Signature]

04. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय, अधीक्षण अभियंता(यांत्रिक) का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यांत्रिक अंचल, भागलपुर रहेगा।

05. निलंबन के दौरान श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

06. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

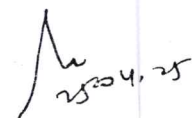
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०का०2-103/2025- 800

पटना, दिनांक- 25/04/25

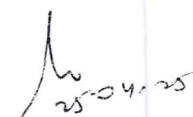
प्रतिलिपि:-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०का०2-103/2025- 800

पटना, दिनांक- 25/04/25

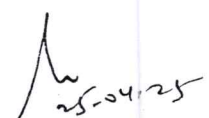
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०का०2-103/2025- 800

पटना, दिनांक- 25/04/25

प्रतिलिपि:-विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-4023, दिनांक-09.04.2025 के प्रसंग में/मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवररेज(दक्षिण बिहार उपभाग), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


✓ (संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०का०2-103/2025- 800

पटना, दिनांक- 25/04/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता(यांत्रिक)/अधीक्षण अभियंता(यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यांत्रिक अंचल, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता(यांत्रिक), मुख्य अभियंता, जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज(दक्षिण बिहार उपभाग), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

3/4/25
25.4.25